लोक सभा अध्यक्ष ने सभा में गतिरोध पर दुख व्यक्त किया

...

मैं लोगों की इस पीड़ा को समझता हूँ कि इस बार सभा में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई : श्री बिरला

...

वाद-विवाद और संवाद से लोकतन्त्र सुदृढ़ होता है : लोक सभा अध्यक्ष

...

सभा में विधेयक सम्यक और सार्थक चर्चा के बाद ही पारित होने चाहिए : श्री बिरला

...

संसदीय परम्पराओं और सभा की गरिमा का आदर किया जाना चाहिए : श्री बिरला

....

छठे सत्र के दौरान लोक सभा की 17 बैठकें हुईं और सभा में 96 घंटों के निर्धारित समय की तुलना में 21 घंटे 14 मिनट कार्य हुआ : श्री ओम बिरला

.....

व्यवधान के कारण लोक सभा का 74 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ और इस सत्र के दौरान सभा की कार्य- उत्पादकता 22 प्रतिशत रही : लोक सभा अध्यक्ष

....

नया संसद भवन अगले साल तक तैयार हो जाएगा : श्री बिरला

नई दिल्ली, 11 अगस्त 2021 : सत्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र, जो 19 जुलाई, 2021 को शुरू हुआ था, आज 11 अगस्त, 2021 को सम्पन्न हुआ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मीडिया के साथ बात करते हुए इस बारे में अपनी वेदना व्यक्त की कि इस सत्र में गतिरोध के कारण सभा के कार्यों में बाधा आई और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। श्री बिरला ने कहा," मैं लोगों की इस पीड़ा को समझता हूँ कि इस बार सभा में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई।"

सभा में वाद-विवाद और चर्चा के महत्व पर ज़ोर देते हुए, श्री बिरला ने कहा कि वाद-विवाद और संवाद से लोकतन्त्र सुदृढ़ होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभा में विधेयक सम्यक और सार्थक चर्चा के बाद ही पारित किए जाने चाहिए। इस बारे में आगे अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री बिरला ने कहा कि सभा का सुचारु संचालन सभी हितधारकों का सामूहिक दायित्व है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि सदस्यों ने 17वीं लोक सभा के पहले पाँच सत्रों में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है, लोक सभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों केव नेताओं से आग्रह किया कि वे देश की महान संसदीय परम्पराओं और सभा की गरिमा का आदर करें। श्री बिरला ने कहा कि सभा में कार्य सामूहिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति से ही होना चाहिए।

सभा में हुए कार्य के बारे में जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने बताया कि छठे सत्र के दौरान 17 बैठकें हुईं और सभा में 96 घंटों के निर्धारित समय की तुलना में 21 घंटे 14 मिनट कार्य हुआ। श्री बिरला ने यह जानकारी भी दी कि व्यवधान के कारण लोक सभा का 74 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ और इस सत्र के दौरान सभा की कार्य- उत्पादकता 22 प्रतिशत रही। लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान 13 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 20 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के दौरान पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - संविधान (एक सौ सत्ताईसवाँ संशोधन) विधेयक, 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक 2021; और वर्ष 2017-18 और 2020-21 की अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि गतिरोध के बावजूद सभा में 66 तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। इसके अलावा नियम 377 के अधीन लोक महत्व के 331 मामले उठाए गए। श्री बिरला ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 17वीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों में से 98 प्रतिशत मामलों में सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ है। इस सत्र के दौरान स्थायी समितियों ने सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और 52 वक्तव्य दिए गए जिनमें सभा के कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य शामिल नहीं हैं। कुल 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

संसद सदस्यों के क्षमता निर्माण के अंतर्गत सभा के समक्ष विचारार्थ विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में 12 ब्रीफिंग सत्रों का आयोजन किया गया।

सत्र के दौरान संसद सदस्यों के लिए दो सेंसिटाईजेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें एक कार्यक्रम हेपेटाइटिस और एक टीबी के बारे में था।

श्री बिरला ने यह जानकारी भी दी कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि नया संसद भवन अगले साल तक तैयार हो जाए।